7-

5-80/08

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना
(जिला शस्त्र शाखा)
–: आदेश :–

16-04-2013

शस्त्र अपील वाद संख्या–59/2008, आयुक्त न्यायालय, पटना में आवेदक **श्री राकेश कुमार,** पिता–श्री राम प्रवेश कुमार, मु0–नया टोला, सगुना, दानापुर, थाना–दानापुर, जिला– पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–11–780/2004 में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक–27.05.2011 को माननीय आयुक्त न्यायालय के द्वारा वाद को तीन माह के अंदर मुखर आदेश पारित करते हुए उसे निष्पादित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में वाद की कार्रवाई पुनः आरम्भ करते हुए सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी।

सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे पूर्व में दानापुर विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्याशी रहें हैं और सामाजवादी पार्टी के सदस्य हैं तथा C.P.W.D. में ठीकेदारी का कार्य करते हैं। पूर्व में उनके साथ आपराधिक घटना घटी है, जिसके सन्दर्भ में दानापुर थाना कांड सं0–207/08, दिनांक–12.07.2008 तथा कांड सं0–69/12, दिनांक–16.02.2012 दर्ज किया गया। अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक–666/गो0, दिनांक–20.10.2005 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में मूल में संलग्न कर अग्रसारित/अनुशंसित किया गया है। अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, दानापुर द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को थानाध्यक्ष, दानापुर द्वारा अग्रसारित एवं अनुशंसित करने के आधार पर अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, दानापुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत की जा सकती है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में पारित आदेश को संशोधित करते हुए **श्री राकेश कुमार,** पिता–श्री राम प्रवेश कुमार, मु0–नया टोला, सगुना, दानापुर, थाना–दानापुर, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

D:\RANJIT KUMAR\Arms Branch\S.D.C. Letter\Arms Licence Order (ACCEPT).doc